न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना

मु० नं०	दावा	दायरा दि०	निर्णय दिनांक	
140/2020	88, 89, 188 RT Act	4/9/20	File No. स्थगित 30/3/21.	7/12/20 10/3/21 23/3/21 30/3/21 (आदेश)

दुर्गाप्रसाद बनाम बाबू व अन्य

— वादी —प्रतिवादी

दावा - 88, 89, 188, 136 R.T. Act

#2020/00356

Name

Address

Subject

From To

नन्दकिशोर शर्मा

मुकटसिंह गुर्जर
स्टाम्प विक्रेता, तह० परिसर बयाना
भरतपुर, ल० 3/99-2000

NO. 1000

RECORD FILE *Signature*

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/3/21	प्रकरण पेश हुआ। उभय पक्ष के वकलाय उपस्थित। वादी द्वारा धारा 88/89, 188 रा Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम दहगांवा तहसील बयाना के हल्का जमाबन्दी 2073-76 के खाता संख्या में खसरा नं. 1091/0.40, 1128/0.51 एवं खाता संख्या 135 में खसरा नं. 239/0.72 खाता संख्या 212 में खसरा नं. 1699/0.41 है. स्थित है; वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई है। ग्राम दहगांवा तहसील बयाना की जमाबन्दी खाता संख्या 106, 107 व 191 में वादी का नाम राजस्व कार्मिकों / अधिकारियों की कार्यवाही से दुर्गाप्रसाद पुत्र भवानी के बजाय द्वारिका पुत्र भवानी गलत दर्ज हो गया है। वादी का नाम सभी प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दुर्गाप्रसाद पुत्र भवानी ही है। ग्राम दहगांवा तहसील बयाना में द्वारिका पुत्र भवानी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वादी को बचपन में द्वारिका के नाम से पुकारते थे परन्तु वास्तविक नाम दुर्गाप्रसाद है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को दिनांक 25/8/2020 को हुई। वादी ने नाम दुरस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया एवं धमकी दी है। वादी के नाम को राजस्व रिकार्ड में द्वारिका से दुर्गा प्रसाद दुरस्त किए जाने से किसी अन्य काश्तकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। वाद कारण दिनांक 25/8/2020 को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अन्त में वाद वादी डिक्री कर हाल जमाबन्दी के खाता सं. 134, 135, 212 में अंकित आराजी खसरा नम्बरान मौजा ग्राम दहगावां तहसील बयाना का वादी दर्ज हिस्सा अनुसार [illegible], काश्तकार काबिज है व [illegible] आराजीयात में [illegible] जाय दुर्गा प्रसाद पुत्र भवानी संशोधन करने बाबत डिक्री का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब करे। प्रतिवादी व स्वयं वादी ने न्यायालय हाजा दिनांक 23.3.21 को राजीनामा पेश किया। राजीनामा सुन-समझकर तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073-76, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, मेडिकल डायरी की द्वारा प्रतियों का गहनता से अध्ययन किया। वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया।	
	यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा यह वाद धारा 88,89,188 RT Act के तहत पेश किया। जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 134 में अंकित खसरा नम्बरान में वर्णित सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जबकि सभी सहखातेदारान को दावा में पक्षकार मुकदमा कानूनन बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वादी का नाम शामिल न होकर दुर्गा प्रसाद हो। मात्र दो सहखातेदारों द्वारा राजीनामा पेश करने के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। वाद - वादी खारिज योग्य है।	
	आदेश	
	अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा ... वाद - तकमील दाखिल दफ्तर हो। ... प्रति जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.3.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested